

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल 1-09/2010-

पटना, दिनांक-

डा० शान्तनु कुमार घोष, सह-प्राध्यापक, टी०बी० एवं चेस्ट विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को अपने पुत्र से मिलने हेतु दिनांक-24.06.2019 से 05.07.2019 तक फ्रांस (विदेश) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

1. डा० घोष, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
2. डा० घोष, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
3. डा० घोष, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
4. डा० घोष, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
5. डा० घोष, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
6. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।


ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/एल 1-09/2010- 391 (17) /पटना, दिनांक- 10/6/19  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०)  
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर/डा० शान्तनु कुमार  
घोष, सह-प्राध्यापक, टी०बी० एवं चेस्ट विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा  
महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी०मैनेजर/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन  
हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।  
R.K.